

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कोषागार प्रपत्र-209(1)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा जिस व्यक्ति(पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम सेस धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
- चालान की सफल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर
- लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोण्डा

श्रीमती पूजा सिंह प्रथम अपर जिला एवं सैल न्यायाधीश गोण्डा

जनपद न्यायालय गोण्डा

राजकीय बाहन नं० UP4360233 का माह दिसम्बर 2022 में अनुमत्य सीमा से 402/- किमी० अधिक निजी प्रयोग हेतु खर्चा किया जाने पर 3/प्रति किमी० की दर से JVR भुगतान

1206=00

1206=00

0070-60-800-05-00

0070-60-800-05-00

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0070	60	800	05	00	1206=00

धनराशि(शब्दों में) एक हजार दो सौ रु० तथा मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केंद्रीय नाजिरा 16/3/23

जनपद न्यायालय गोण्डा

योग 1206=00

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोक्तृ
चालान संख्या : CG 00024 भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, गोण्डा अंकों में रु०

दिनांक :

16 MAR 2023 शब्दों में रु०

Anchal Srivastava

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 1000429

1206 L

प्राप्त किया उपकोषागार/बैंक की मुहर.